

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 27 / 2025 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

आईआईएफएल होम फाइनेन्स लिमिटेड अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता राजेन्द्र पाराशर
रजिस्टर्ड कार्यालय:-आईआईएफएल हाऊस, सन इन्फोटेक पार्क, रोड़ नं. 16वी, प्लॉट
नं. बी-23, थाणे इण्डस्ट्रियल एरिया, वागले एस्टेट, थाणे-400604, मुम्बई, महाराष्ट्र
क्षेत्रीय कार्यालय:- 4th फ्लोर, विनायक हाईट्स, गौतम मार्ग, वैशाली नगर, जिला
जयपुर (राज.) 302021

-प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. सतबीर सिंह शेखावत पुत्र हरी सिंह शेखावत निवासी तकिये के पास, बावली गली, हसामपुर, नीमकाथाना-332718, अन्य पता- पट्टा नं. 30, बुक नं. 232 स्थित ग्राम- हसामपुर, पाटन जिला नीमकाथाना-332718
2. चॉद कंवर पत्नी सतबीर सिंह निवासी तकिये के पास, बावली गली, हसामपुर, नीमकाथाना-332718, अन्य पता- पट्टा नं. 30, बुक नं. 232 स्थित ग्राम- हसामपुर, पाटन जिला नीमकाथाना-332718
3. गुलकन्द कंवर पत्नी हीरा सिंह निवासी पट्टा नं. 30, बुक नं. 232 स्थित ग्राम- हसामपुर, पाटन जिला नीमकाथाना-332718


-अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

दिनांक:- 24 मार्च, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री सुनील कुमार द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः सतबीर सिंह शेखावत पुत्र हरी सिंह शेखावत, चॉद कंवर पत्नी सतबीर सिंह एवं गुलकन्द कंवर पत्नी हीरा सिंह की


(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर



ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **गुलकन्द कंवर पत्नी हीरा सिंह** के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति पट्टा नं. **30, बुक नं. 232, ग्राम हसामपुर, पाटन, नीमकाथाना जिला सीकर-332718** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 1125 वर्गफीट कारपेट एरिया 700 वर्गफीट** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में ओमवीर का मकान, पश्चिम दिशा में आम रास्ता, उत्तर दिशा में सेठूराम सेन का मकान एवं दक्षिण दिशा में नरेन्द्र सुरेन्द्र वगैरह का मकान है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल ₹3,19,460/- (अक्षरे रूपये तीन लाख उन्नीस हजार चार सौ साठ)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **16.08.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **16.08.2024** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **सतबीर सिंह शेखावत पुत्र हरी सिंह शेखावत,**


(मुकुल शर्मा)
जिम्मा मजिस्ट्रेट, सीकर



चौद कंवर पत्नी सतबीर सिंह एवं गुलकन्द कंवर पत्नी हीरा सिंह की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी गुलकन्द कंवर पत्नी हीरा सिंह के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति पट्टा नं. 30, बुक नं. 232, ग्राम हसामपुर, पाटन, नीमकाथाना जिला सीकर-332718 में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 1125 वर्गफीट कारपेट एरिया 700 वर्गफीट है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं- पूरब दिशा में ओमवीर का मकान, पश्चिम दिशा में आम रास्ता, उत्तर दिशा में सेठूराम सेन का मकान एवं दक्षिण दिशा में नरेन्द्र सुरेन्द्र वगैरह का मकान है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।



6. आदेश आज दिनांक 24 मार्च, 2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर